

सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, फूजाबाद।  
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
(अरविन्द गुप्ता)

तक किस्मि भी प्रकार का शैरवानिकी कार्य न प्रारम्भ किया जाय।  
जब तक उक्त शैरवानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किस्मि भी प्रकार का शैरवानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय।

2- प्रतिनिधि- श्री अजय कुमार बरनवाल पुत्र श्री श्याम बिहारी बरनवाल, निवासी ग्राम-नरवहनपुर, पोस्ट-दुर्गापुर, जिला-अमठी को उक्त प्रकारण में सूचनाएँ एवं ड्रेस आदेश से प्रेषित कि जाय तब तक किस्मि भी प्रकार का शैरवानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय।

1- प्रतिनिधि- प्रमानीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, सुलतानपुर को उनके कार्यालय पत्रांक 3539/35-1 दिनांक 07-01-2016 के क्रम में सूचनाएँ एवं ड्रेस आदेश से प्रेषित कि जाय तब तक किस्मि भी प्रकार का शैरवानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय।

सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, फूजाबाद।  
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
(अरविन्द गुप्ता)

पत्रांक 8895/ दिनांकित।

संलग्नक-उपरीकृतानुसार।

का इस्ताखरयुक्त फोटोग्राफ संलग्न किया गया है।  
संरक्षित सहित आपके अवलोकनाएँ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु संलग्नकर प्रेषित है। प्रस्तावित स्थल /एफ0सी0/161 दिनांक 14-05-2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के आलाोक में प्रस्ताव तीन प्रतियाँ में एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक द्वितीय/यू0पी0/1149/आर0ओसी0/2012 तदक्रम में अधोइस्ताखरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 12-01-2016 को किया गया तथा पत्रावरण 3539/35-1 दिनांक 07-01-2016 द्वारा विषयागत प्रस्ताव ड्रेस कार्यालय को उपलब्ध कराया है। प्रमानीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, सुलतानपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक

महोदय,

प्रधान हेतु अर्जमति का प्रस्ताव।

जनपद-सुलतानपुर में मार्ग की प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1516 के शैर वानिकी दायी पट्टी (खसरा प्लॉट नं० 250 "अ" ग्राम-पकड़ी, तहसील-सरयू, राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-330 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 96) किमी० 78 (बैनेज 77.013 ग्राम-नरवहनपुर, पोस्ट-दुर्गापुर, जिला-अमठी के डीलरशिप में प्रतापगढ़-सुलतानपुर रिटल आवटलेट श्री अजय कुमार बरनवाल पुत्र श्री श्याम बिहारी बरनवाल, निवासी जनपद सुलतानपुर में एस्सार आँयल लि० वाराणसी द्वारा पेट्रोल/डीजल का एक

विषय:-

उपरोक्त लखनऊ।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

पत्रांक 8895/14-10 (सुलतानपुर) दिनांक, फूजाबाद, जनवरी 13 /2016  
संवा में,  
कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, फूजाबाद